न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/7156/2008/डूँगरपुर

1—लक्ष्मीशंकर पुत्र गोवल जी पाटीदार निवासी चिखली तहसील सीमलवाड़ा जिला डूँगरपुर।

2—वेलचंद पुत्र दलजी पाटीदार निवासी सिलोई तहसील सागवाड़ा जिला डूँगरपुर।

3—कुरा पुत्र गौतम जी पाटीदार निवासी चितरी तहसील सागवाड़ा जिला डूँगरपुर।

4—मावजी पुत्र नाथा मृतक जरिये विधिक वारिसानः—

4/1 मु0 जमना बेवा मावजी

4/2 भोगीलाल पुत्र मावजी

4/3 कमलेश पुत्र मावजी

4/4 ईर पुत्र मावजी

4/5 लक्ष्मी पुत्री मावजी

समस्त जाति पाटीदार निवासी चितरी तहसील सागवाड़ा जिला डूँगरपुर।

5—मोतीराम पुत्र भोगजी मृतक जरिये विधिक वारिसानः—

5/1 मु0 चुन्नीदेवी बेवा मोतीराम

5/2 नरेन्द्र कुमार पुत्र मोतीराम

5/3 कमलाशंकर पुत्र मोतीराम

5/4 हरिवल्लभ पुत्र मोतीराम

5/5 मंजलादेवी पुत्री मोतीराम

5/6 गायत्री देवी पुत्री मोतीराम

समस्त जाति सुथान निवासी चितरी तहसील सागवाड़ा जिला डूँगरपुर।

6— प्रेमचंद पुत्र नाथू जी मृतक जरिये विधिक वारिसानः—

6/1 पुष्कर पुत्र प्रेमचंद

6/2 रमण पुत्र प्रेमचंद

6/3 बंशीलाल पुत्र प्रेमचंद

समस्त जाति डामोर निवासी मोरड़ी तहसील सागवाड़ा जिला डूँगरपुर।

7— गुलाबसिंह पुत्र भूपत मृतक जरिये विधिक वारिसानः—

7/1 दिग्विजयसिंह पुत्र गुलाबसिंह

7/2 त्रिलोक कुंवर सिंह पुत्र गुलाबसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी कूंवा तहसील सागवाड़ा जिला डूँगरपुर।

8—थांवरा पुत्र नंगा मृतक जरिये विधिक वारिसानः—
8/1 रामा पुत्र थांवरा
8/2 काना पुत्र थांवरा
8/3 मणी पुत्री थांवरा
8/4 प्रेम पुत्री थांवरा
समस्त जाति भील निवासी मोरड़ी तहसील सोगवाड़ा जिला डूँगरपुर।
9— रूपाभाई पुत्रखेमाजी रोत निवासी सरपंच ग्राम पंचायत रामडिया तहसील सागवाड़ा जिला डूँगरपुर।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1—पुष्करनाथ पुत्र आलौकनाथ
1/1 श्याम गौरी पत्नि पुष्करनाथ
1/2 पंकज पुत्र पुष्करनाथ
1/3 दीपक पुत्र पुष्करनाथ
समस्त जाति मिश्रा निवासी ग्राम मोरड़ी तहसील सागवाड़ा जिला डूँगरपुर।
2— गीता पुत्री नित्यानंद जाति ब्राहम्ण निवासी मोरड़ी तहसील सागवाड़ा जिला डूँगरपुर।
3— रावत जी पुत्र वालजी मृतक जरिये विधिक वारिसानः—
2/1 मणीलाल पुत्र रावतजी
2/2 कमलेश पुत्र रावतजी
4— हलिया पुत्र वालजी
समस्त जाति मीणा निवासी मोरडी तहसील सागवाड़ा जिला डूँगरपुर।
5—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सागवाड़ा जिला डूँगरपुर।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सी0आर0मीना, सदस्य
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः—
श्री वाई0डी0शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।
अपीलार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं।

——

निर्णय

दिनांक 21–12–2021

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01–05–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं एवं प्रत्यर्थी की तरफ से अधिवक्ता ने आदेश 41 नियम 22 सी0पी0सी0 का क्रास आब्जेक्शन पेश किया।

2– हमने योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी की बहस सुनी व बहस पर मनन किया।

3– प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा द्वारा मूर्ति श्री भैरवजी मोरडी बनाम श्रीमति गीता वगैरह का वाद सं0 78/1997 दिनांक 07–06–2002 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ बी में वर्णित खसरा नंबर की सीमा तक वादी के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए। उक्त आदेश के विरूद्ध मंदिर मूर्ति भैरवजी मोरड़ी के द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्ध अपील सं0 396/2003 राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में पेश की जो विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा दिनांक 01–05–2008 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ ए व बी में वर्णित आराजियात को मंदिर मूर्ति भैरवजी को खातेदार घोषित किया गया व स्थाई निषेघाज्ञा का वाद डिक्री किया।

4– दिनांक 01–05–2008 के आदेश के विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी ने द्वितीय अपील मण्डल हाजा में पेश की। दौराने अपील पक्षकारान की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। दौराने अपील दिनांक 03–03–2020 को अपीलांट प्रतिवादीगण की अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की गई। रेस्पोडेंट के क्रास आब्जेक्शन आदेश 41 नियम 22 सी0पी0सी0 होने से उस सीमा तक पत्रावली लंबित रखी गई।

5— रेस्पोडेंट अधिवक्ता का सीमित तर्क है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01—05—2008 में परिशिष्ठ ए व बी में सम्पति का विवरण डिक्री में नहीं लिखा है जबकि इजराय डिक्री की होती है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर का उल्लेख राजस्व अपील प्राधिकारी की डिक्री में किया जावें। उक्त संशोधन के लिए राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में भी आवेदन पेश किया था परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर ने यह कह कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि राजस्व मण्डल में अपील चल रही है। इस कारण अभी कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। अतः वांछित संशोधन डिक्री में किया जावें।

6— उपरोक्त तर्को पर विचार किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 01—05—2008 में मात्र परिशिष्ठ ए व बी में वर्णित खसरा नंबर के आराजी का खातेदार वादी मंदिर को घोषित किया है। उनका विवरण नहीं लिखा है और ना ही परिशिष्ठ ए व बी को डिक्री का भाग बनाया गया है। अतः वादी रेस्पोडेंट के क्रास आब्जेक्शन स्वीकार किए जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01—05—2008 में संशोधन करते हुए आदेश दिया जाता है कि वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ अ व ब जो प्रदर्श 9 व 10 है, डिक्री पर्चा का भाग रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य

(सी0आर0मीना)
सदस्य